/77088/2022

संख्या– 77088 /XXVII(7)/E-39427/2022

प्रेषक,

दिलीप जावलकर,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/सचिव (प्रभारी),
   उत्तराखण्ड शासन।

वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7 **देहरादूनः दिनांकः 17 नवम्बर, 2022**

विषयः– राज्य सरकार के सरकारी सेवकों के लिए लागू एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)30-14/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 सपठित शासनादेश संख्या–65/XXVII(7)/18-50(09)/2018 दिनांक 09 मार्च, 2019 एवं शासनादेश संख्या–05/XXVII(7)/50(09)/2018 दिनांक 06 जनवरी, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2017 के संलग्नक के बिन्दु संख्या–17 में उपबन्धित व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्यक् विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के क्रम में संशोधित व्यवस्था लागू किये जाने हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–05/XXVII (7)/50(09)/2018 दिनांक 06 जनवरी, 2022 को अधिक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या–11/XXVII(7) 30-14/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 के संलग्नक के बिन्दु संख्या–17 में उपबन्धित व्यवस्था को निम्नवत् संशोधित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

"एम.ए.सी.पी. की व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन की अनुमन्यता हेतु वित्तीय स्तरोन्नयन की देय तिथि से पीछे की 05 वर्षों की वार्षिक प्रविष्टियां देखी जायेंगी। यदि किसी वर्ष की वार्षिक प्रविष्टी 'उत्तम' से न्यून हो तो उस वर्ष को अर्हता हेतु गणना में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। ऐसी दशा में एम.ए.सी.पी. की देयता की तिथि से अगले वित्तीय वर्ष/वर्षों में 'उत्तम' वार्षिक प्रविष्टि का मानक पूर्ण होने पर ही वित्तीय स्तरोन्नयन का लाभ देय होगा।"

3. यह व्यवस्था दिनांक 01–01–2017 से प्रभावी होगी। तद्नुसार ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें कार्मिकों को उक्तानुसार संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत वित्तीय स्तरोन्नयन दिनांक

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR HALDIA, RO-FINANCE-7-MKH, REVIEW OFFICER, Finance Department on 17/11/2022 04:25 PM

I/77088/2022
I/77088/2022

01–01–2017 को/के पश्चात् अनुमन्य है, के सम्बन्ध में विभागीय स्क्रीनिंग कमेटी की संस्तुति के अनुसार यथाप्रकिया अग्रेतर कार्यवाही कर ली जाय।

4. शासनादेश संख्या–11/XXVII(7)30-14/2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 सपठित शासनादेश संख्या–65/XXVII(7)18-50(09)/2018 दिनांक 09 मार्च, 2019 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

भवदीय
Signed by Dilip Jawalkar
Date: 17-11-2022 13:52:06

(दिलीप जावलकर)
सचिव।

संख्या– 77088 /XXVII(7)/E-39427/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड।
5. मुख्य स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
6. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
9. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
Signed by Ganga Prasad
Date: 17-11-2022 16:05:56

(गंगा प्रसाद)
अपर सचिव।

Generated from eOffice by MANOJ KUMAR HALDIA, RO-FINANCE-7-MKH, REVIEW OFFICER, Finance Department on 17/11/2022 04:25 PM